न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 66/2019 (2019/00399)

1. किशनलाल पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

1. बजरंग वगै0 पुत्र लादू
2. महाराज पुत्र लादू
3. पीरी पत्नि बजरंगी समस्त जाति गुर्जर निवासीगण सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय केकडी जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

आदेश दिनांक 12.3.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। प्राथी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण मे पक्षकरान को सुना गया। संक्षेप मे प्रकरण निम्न प्रकार है।

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमे प्रार्थी की कृषि आराजी वाके ग्राम सरसडी, तहसील केकडी जिला अजमेर मे स्थित जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता नम्बर 41 रकबा 0.21हैं. के मिलान क्षेत्रफल अनुसार साविक खसरा नम्बर 225 मिन रकबा 1.21है. है किन्तु वर्तमान नक्शे मे पुराने नक्शे की स्थिति को दुरस्त करने बावत् यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को इन्द्राज दुरस्ती के ओदश प्रदान कराने की प्रार्थना प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र मे की है

हमने पत्रावली को दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिश तलब किया। अप्रार्थीगण 1 और 3 की ओर से शैलेन्द्र सिंह राठोड व श्री रमेश मीणा एडवोकेट एवं अप्रार्थी 2 की ओर से श्री गजराज सिंह एडवोकेट ने पेश किया। पत्रावली मे जवाब हेतु काफी समय दिया जा चुका है पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया सामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को इन्द्राज दुरस्ती हेतु स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार पैरोकार सरकार के जवाब अनुसार प्रार्थी के आराजी खसरा नंबर 291 के तरमीम सुधार हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में खसरा नंबर 280 व 292 मे भी इस प्रकरण की तरमीम का असर पडता है पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेश से अवगत कराया की प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 290 का रकबा 0.18है. है तथा प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 291 का रकबा 0.21है. जबकि पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार 290 का रकबा बढाकर 291 का रकबा कम कर दिया गया। अतः खसरा नंबर 291 का रकबा 0.21है. किये जाने हेतु खसरा नंबर 290 की मेड पर दुरस्त किया जाने हेतु न्यायोचित पाया जाता है तथा प्रार्थी का कब्जा काश्त पुराने नक्शे के आधार पर काबिज होना पाया जाता है जो साविक नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर हाल जमाबंदी के खाता नंबर नया–पुराना 41–44 के खसरा नंबर 291 का नक्शा पुराने नक्शे अनुसार दुरस्त कि कार्यवाही करे। कि आदेश की पालना नियमानुसार किया जाकर कि गई कार्यवाही से न्यायालय हाजा को अवगत करावे। खर्चा फरिकेन [illegible]

आदेश आज राष्ट्रीय लोक अ[illegible]त [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:56:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
[illegible]

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner